बी. एन. नागराजन व अन्य

बनाम

मैसूर राज्य व अन्य

01 मार्च, 1966

[मुख्य न्यायाधिपति पी.बी. गजेंद्रगढकर, न्यायाधिपति के. एन वांचू, एम. हिदायतुल्ला, जे.सी शाह और एस.एम सीकरी]

भारत का संविधान, अनुच्छेद. 309, परंतुक का दायरा।

मैसूर राज्य सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम 1957 नियम 3- प्रत्येक सेवा के लिए सेवा नियमों को बनाने का प्रावधान- क्या ऐसे नियमों के अभाव में अनुच्छेद 162 के तहत सेवा नियुक्तियां करने की राज्य की कार्यकारी शक्ति को निलंबित किया जा सकता है।

मैसूर लोक निर्माण, इंजीनियरिंग विभाग सेवा (भर्ती) नियम 1960- विचाराधीन -मैसूर लोक सेवा आयोग (कार्य) नियम, 1957- क्या अनुच्छेद 309 के तहत वैधानिक नियम।

अक्टूबर 1958, मई 1959 और अप्रैल 1960 में जारी अधिसूचनाओं द्वारा, मैसूर लोक सेवा आयोग ने 80 परिवीक्षाधीन सहायक इंजीनियरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इन अधिसूचनाओं द्वारा पात्रता के लिए योग्यता, वेतन, आयु सीमा और अन्य शर्तें निर्धारित की गई थीं।

1 मार्च, 1960 को राज्यपाल द्वारा यह अधिसूचित किया गया कि राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों और पदों पर सीधी भर्ती के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 15% और 3% होगा; और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 25% होगा।

इसके बाद, अक्टूबर और नवंबर 1960 में, मैसूर लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और उनके द्वारा चुने गए 80 उम्मीदवारों की एक सूची सरकार को भेजी।

3 दिसंबर, 1960 को मैसूर सरकार ने मैसूर लोक निर्माण इंजीनियरिंग विभाग सेवा के संबंध में राज्य सेवा संवर्ग की स्थापना को मंजूरी दी। उसी तारीख को, अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने मैसूर लोक सेवा इंजीनियरिंग विभाग सेवा (भर्ती) नियम 1960 नामक नियम बनाए। ये नियम निर्दिष्ट पदों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भर्ती का तरीका निर्धारित करता है, जिसके तहत केवल 40% नियुक्ति साक्षात्कार और मौखिक परीक्षा के बाद की जा सकती थी और सहायक इंजीनियरों के लिए न्यूनतम योग्यता, आयु सीमा आदि भी निर्धारित की गई थी, जो 80 सहायक अभियंताओं की भर्ती से संबंधित मैसूर लोक सेवा आयोग की पिछली अधिसूचनाओं में निर्धारित से कुछ हद तक अलग थी।

23 अक्टूबर, 1961 को राज्यपाल ने 1960 के नियमों में कुछ संशोधन किए, जिसका प्रभाव उन नियमों को 1 मार्च, 1958 से पूर्वव्यापी बनाना था और साथ ही पहली बार सहायक अभियंता की सीधी भर्ती के लिए प्रतिशत, शैक्षिक योग्यता एवं आयु से संबंधित नियमों की आवश्यकताओं को हटाना था।

इसके बाद 31 अक्टूबर, 1961 को राज्यपाल ने 88 उम्मीदवारों को परिवीक्षाधीन सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया। इन नियुक्तियों को उच्च न्यायालय में दाय16 रिट याचिकाओं में अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि (i) मैसूर राज्य सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1957 के नियम 3 जो यह प्रदान करता है कि प्रत्येक राज्य सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति और योग्यताएँ को ऐसी सेवा की भर्ती के लिए विशेष रूप से बनाए गए नियमों में निर्धारित किया जाना चाहिए, के मद्देनजर सरकार आवश्यक नियम तैयार किए बिना सहायक इंजीनियरों की भर्ती नहीं कर सकती है; (ii) राज्य सरकार पूर्वव्यापी रूप से नियम नहीं बना सकती जब तक कि उसके पास प्रासंगिक कानून के तहत ऐसा करने की स्पष्ट शक्तियाँ न हों; (iii) 31 अक्टूबर 1961 को जो नियुक्तियाँ की गईं, उन्हें 1960 के नियमों के अनुसार किया जाना था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं किया गया; (iv) कुछ नियुक्तियाँ दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गईं। इन रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया।

इस न्यायालय में अपील पर माना गया: 88 सहायक अभियंताओं की नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए वैध रूप से की गईं।

यह अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत किसी सेवा के गठन या पद सृजित या भरे जाने से पहले भर्ती आदि के नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार के पास उन सभी मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्ति है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य सरकार के पास सूची प्प् प्रविष्टि41 "राज्य लोक सेवाएँ" के संबंध में कार्यकारी शक्ति होगी। [686 सी-ई]

इस पृष्ठभूमि में, 1957 के सामान्य भर्ती नियमों के नियम 3 की व्याख्या राज्य की कार्यकारी शक्ति को तब तक निलंबित करने के रूप में नहीं की जा सकती जब तक कि किसी सेवा की भर्ती के नियम विशेष रूप से नहीं बनाए जाते। [686 जी]

अगर यह मान भी लिया जाए कि राज्य सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों की कोई पूर्वव्यापी वैधता नहीं थी, तो स्थिति यह होगी कि88 सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले कोई वैधानिक नियम नहीं थे; लेकिन यह राज्य सरकार को अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में वैध नियुक्तियाँ करने से नहीं रोक सकता।[694 एफ]

यह नहीं कहा जा सकता कि अक्टूबर 1960 में की गई नियुक्तियाँ 3 दिसंबर 1960 को बनाए गए वैधानिक नियमों के तहत होनी थीं। लोक सेवा आयोग को अधिसूचनाएँ प्रकाशित करने, उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेने में लगभग दो साल लग गए। नियम बनाते समय पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अक्टूबर 1960 में उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद नवंबर 1960 में की गई लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में की गई नियुक्तियों को नियमों में शामिल करने की सरकार की मंशा नहीं रही होगी। [694 जी-695 बी]

तथ्यों से कोई दुर्भावनापूर्ण या अतिरिक्त उद्देश्य साबित नहीं हुआ है।

मैसूर लोक सेवा आयोग (कार्य) नियम, 1957, अनुच्छेद 309 के तहत वैधानिक नियम नहीं है। पहला, नियम स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहते हैं, दूसरा ये नियम सेवाओं, या पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में नियमों को निर्धारित करने की बजाय आयोग के कार्यों से सम्बन्धित है। [685 ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारित, दीवानी अपील सं. 430 से 461 वर्ष 1964

मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1248, 1267, 1269, 1294-1298, 1311, 1312, 1318, 1341, 1354, 1355, 1382 और 1384 में 11 अक्टूबर 1962 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ताओं के लिए संख्या 1-4, 6-45 और 48-76 (1964 के सी. एस. संख्या 430-445 में)। एम. सी. सीतलवाड, एस. सी. जावली, ओ. सी. माथुर, जे. बी. दादाचंजी, ए और रविंदर नारायण।

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए एम. के. नांबियार, एस.एन. एंडली, रामेश्वर नाथ और पी.एल. वोहरा। (1964 के सी. ए. क्रमांक 430-445 में) और अपीलकर्ताओं के लिए ए. के. सेन, बी. आर. एल. अयंगर और बी. आर. जी. के. अचार।(1964 के सी. ए. क्रमांक 446-461 में)

मध्यस्थ के लिए जे.बी. दादाचंजी, ओ. सी. माथुर और रविन्द्र नारायण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

न्यायाधिपति सीकरी - ये अपीलें, विशेष इजाजत द्वारा बैंगलूरू में मैसूर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें इसके समक्ष दायर 16 रिट याचिकाओं में सरकार की अधिसूचना संख्या पीडब्लू 10 एसएजी 59 दिनांक 31 अक्टूबर 1961 को रद्द कर दिया गया था और उसके तहत राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग में88 सहायक अभियंताओं की नियुक्तियाँ।

2. अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं की ओर से हमें संबोधित तर्कों का विवेचन करने के लिए, कालानुक्रमिक क्रम में, उपरोक्त रिट याचिकाएं दाखिल करने से पहले की घटनाओं और उनके महत्व को बताना आवश्यक

है। दिनांक 12 दिसंबर, 1957 को, मैसूर के राज्यपाल ने मैसूर लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित नियम बनाए, जिन्हें मैसूर लोक सेवा आयोग (कृत्य) नियम, 1957 नामक नियम बनाए, जिन्हें आगे कृत्य नियम कहा गया है। इन नियमों के नियम 3 में परीक्षा द्वारा भर्ती का प्रावधान करता है। नियम 4 इस प्रकार है :

> "जब किसी सेवा या पद पर भर्ती चयन द्वारा की जानी हो और आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता हो, तो ऐसा किया जाएगा
>
> (1) उम्मीदवारों की पात्रता की शर्तों के संबंध में सरकार को सलाह देना;
>
> (2) बनाए जाने वाले नियमों को सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने और भर्ती के लिए अधियाचना प्राप्त होने के बाद, पात्रता की शर्तों, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, जहां संभव हो भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, और किसी भी तरह का प्रचार करने के बाद इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करें। अन्य प्रासंगिक सामग्री;
>
> (3) प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगा और जब आवश्यक हो तो ऐसे उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगा जो

निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों और जिन्हें वह नियुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त मानते हों

नोट- इसमें शामिल कोई भी बात आयोग को सरकार द्वारा उसके ध्यान में लाई गई निर्धारित योग्यता रखने वाले किसी भी उम्मीदवार के मामले पर विचार करने से नहीं रोकेगी, भले ही ऐसे उम्मीदवार ने सरकार के विज्ञापन के जवाब में आवेदन नहीं किया हो।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी को उन अभ्यर्थियों की एक सूची अग्रेषित करें, जिसमें वह उतनी संख्या शामिल हो जितनी वह तय कर सके, उन अभ्यर्थियों की जिन्हें आयोग वरीयता क्रम में नियुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त मानता है;

बशर्ते कि आयोग सरकार को उस सेवा या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकारी को नामित करने के लिए आमंत्रित कर सकता है जिसके लिए भर्ती की जा रही है, जो चयन के अपने काम में आयोग की सहायता के लिए खंड (3) में निर्दिष्ट साक्षात्कार में उपस्थित होगा।

हम यहां इस मुद्दे का निपटारा कर सकते हैं कि क्या ये नियम कार्यकारी नियम हैं या संविधान के अनुच्छेद के तहत बनाए गए वैधानिक नियम हैं। उच्च न्यायालय ने माना कि जहाँ तक नियम राज्य के तहत सिविल सेवाओं में भर्ती को विनियमित करने के विषय से संबंधित हैं, कोई संदेह हो सकता है कि शक्ति का स्रोत केवल संविधान के अनुच्छेद 309 का

परंतुक हो सकता है। "हमारी राय में ये नियम अनुच्छेद 309 के तहत बनाये गये नियम नहीं हैं। पहला, नियम स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहते हैं, और दूसरा, नियम सेवाओं या पदों पर भर्ती के संबंध में नियमों को निर्धारित करने के बजाय आयोग के कार्यों से संबन्धित हैं। अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 320(3) के अनुसार, परामर्श करना सरकार का कर्तव्य है; और सलाह देना लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है। नियम 4 का उप-नियम (1) स्पष्ट रूप से वही प्रदान करता है जो अनुच्छेद 320 (3)(ख) और अन्य उप-नियम वास्तव में आयोग और सरकार के बीच स्पष्ट रूप से प्रशासनिक व्यवस्था हैं कि कैसे सरकार और लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं या पदों के लिए व्यक्तियों की भर्ती के लिए कैसे कदम उठाएंगे।

आख्यान को फिर से शुरू करते हुए, 10 फरवरी 1958 को, मैसूर के राज्यपाल ने, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसूर राज्य सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1957 बनाए, जिसे इसके बाद सामान्य भर्ती नियम कहा जाएगा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि ये वैधानिक नियम हैं और जहां तक वे किसी भी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने का निर्देश देते हैं, सरकार को निर्देशों का पालन करना होगा। इन नियमों का नियम 3, जिस पर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने भरोसा करते हुए आग्रह किया है कि सरकार नियम बनाए

बिना सहायक अभियंताओं की भर्ती नहीं कर सकती है, निम्नलिखित शर्तों में है :

> "भर्ती की विधि - राज्य सिविल सेवाओं में भर्ती प्रतिस्पर्धी परीक्षा या पदोन्नति द्वारा की जाएगी। प्रत्येक राज्य सिविल सेवा के लिए भर्ती की विधि और योग्यताएं ऐसी सेवा की भर्ती के नियमों में निर्धारित की जाएंगी, जो विशेष रूप से उसमें बनाई गई हैं। ओर से।"

इस स्तर पर इस तर्क से निपटना सुविधाजनक होगा। श्री नांबियार का तर्क है कि शब्द "ऐसी सेवा की भर्ती के लिए विशेष रूप से बनाए गए नियमों में निर्धारित अनुसार होगा" यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब तक इस संबंध में नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक किसी भी सेवा में कोई भर्ती नहीं की जा सकती है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, यह अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत किसी सेवा के गठन या पद सृजित या भरे जाने से पहले भर्ती आदि के नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह वांछनीय नहीं है कि आम तौर पर उन सभी मामलों पर नियम बनाए जाएं, जिन्हें नियमों में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, राज्य सरकार के पास उन सभी मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्ति है, जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल के

पास कानून बनाने की शक्ति है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य सरकार के पास सूची॥, प्रविष्टि 41, राज्य लोक सेवाओं के संबंध में कार्यकारी शक्ति होगी। इस न्यायालय द्वारा राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, 1955(2) एससीआर 225 में यह तय किया गया था कि यह आवश्यक नहीं है कि कार्यपालिका को कार्य करने में सक्षम बनाने से पहले ही कोई कानून अस्तित्व में हो और कार्यपालिका की शक्तियां केवल इन कानूनों को लागू करने तक ही सीमित हैं। हमें संविधान के अनुच्छेद 309 के संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो बिना कानून के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्य करने की कार्यपालिका की शक्ति को कम करता हो। यह उल्लेख करना शायद ही आवश्यक है कि यदि इस मामले पर कोई वैधानिक नियम या कोई अधिनियम है, तो कार्यपालिका को उस अधिनियम या नियम का पालन करना होगा और वह संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति का प्रयोग उस नियम या अधिनियम की उपेक्षा या उसके विपरीत नहीं कर सकती है।

इस स्थिति की पृष्ठभूमि में हम सामान्य भर्ती नियमों के नियम 3 की यह व्याख्या करने में असमर्थ हैं, कि यह नियम राज्य की कार्यकारी शक्ति को निलंबित करता है जब तक कि किसी सेवा की भर्ती के नियम विशेष रूप से उसके लिए नहीं बनाए जाते हैं। नियम बनाने में आमतौर पर काफी समय लगता हैय विभिन्न प्राधिकारियों से परामर्श करना पड़ता है

और सामान्य भर्ती नियम, 1957 के नियम 3 का इरादा नियम बनने तक सार्वजनिक विभागों के कामकाज को रोकना नहीं हो सकता है। इस न्यायालय ने टी. काजी बनाम यू. जोर्मोनिक सिएम {1961-(1) एससीआर 750} में एक समान बिंदु पर विचार किया और एक समान निष्कर्ष पर पहुंचे। बहुमत की ओर से निर्णय देने वाले न्यायाधिपति वांचू की निम्नलिखित टिप्पणियाँ, श्री नांबियार के तर्क में स्पष्ट रूप से तर्क दोष को सामने लाती हैं:

> "उच्च न्यायालय ने यह मत दिया है कि सिएम की नियुक्ति और उत्तराधिकार जिला परिषद का प्रशासनिक कार्य नहीं था और जिला परिषद केवल राज्यपाल की सहमति से कानून बनाकर नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में कार्य कर सकती थी। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने अनुसूची के पद 3 (1) (जी) पर निर्भर किया, जो बताता है कि जिला परिषद के पास 'Chief and headman' नियुक्ति और उत्तराधिकार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी। उच्च न्यायालय का मानना है कि जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक उत्तरदाता की तरह किसी प्रमुख या सिएम की नियुक्ति की कोई शक्ति नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप हटाने की भी कोई शक्ति नहीं होगी।

सम्मानपूर्वक, हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने पद 3 (1) (जी0) को उसकी भाषा को उचित ठहराती है, उससे कहीं अधिक पढ़ा है। पद 3(1) वास्तव में एक विधायी सूची की तरह है और उन विषयों की गणना करता है जिन पर जिला परिषद कानून बनाने के लिए सक्षम है। पद 3(1)(जी) के तहत इसके पास 'Chief or headman' की नियुक्ति या उत्तराधिकार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है और इसमें स्वाभाविक रूप से उन्हें हटाने की शक्ति भी शामिल होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी प्रमुख की नियुक्ति या निष्कासन एक विधायी कार्य है या कोई भी नियुक्ति या निष्कासन उस प्रभाव के लिए कानून बनाए बिना नहीं किया जा सकता है।"

"इसके अलावा एक बार जब नियुक्ति की शक्ति जिला प्रशासन की शक्ति के अंतर्गत आ जाती है, तो नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारियों और अन्य लोगों को हटाने की शक्ति आवश्यक रूप से परिणाम के रूप में आएगी। संविधान का यह इरादा नहीं हो सकता है कि जब तक राज्यपाल पद 19(1)(बी) के तहत नियम नहीं बनाते या जब तक जिला परिषद पद 3(1)(जी) के तहत कानून पारित नहीं कर देती

तब तक सभी स्वायत्त जिलों का प्रशासन रूक जाएं। पहली बार में राज्यपाल और उसके बाद जिला परिषदों को प्रशासन को चलाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है और हमारी राय में इसमें प्रशासन को चलाने के लिए कर्मियों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है जब प्रशासन के कर्मियों की नियुक्ति या निष्कासन के संबंध में पद 19(1)(बी) के तहत बनाए जाते हैं या कानून पद 3 के तहत पारित किए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार बनाए गए नियमों या पारित कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जब तक नियम नहीं बनाए गए या कानून पारित नहीं किए गए, प्रशासन के कार्मिकों की कोई नियुक्ति या बर्खास्तगी नहीं हो सकती। हमारी राय में, संबंधित प्राधिकारियों के पास छठी अनुसूची द्वारा प्रदत्त प्रशासन की सामान्य शक्ति के तहत प्रशासनिक कर्मियों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति हर प्रासंगिक समय पर होगी। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मत कि पद 3(1)(जी) के तहत इस संबंध में पहले कानून पारित किए बिना जिला परिषद द्वारा कोई नियुक्ति या निष्कासन नहीं किया जा सकता है, कायम नहीं रखा जा सकता।"

इस संबंध में श्री नांबियार ने संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 को भी आधार बनाए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि यदि कार्यपालिका को अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाए बिना नियुक्तियां करने और सेवा की शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दी जाती है, तो वह अनुच्छेद 15 व 16 का उल्लंघन होगा क्योंकि उस स्थिति में नियुक्तियाँ arbitrary होंगी और कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर होंगी। हम इस मत को मानने में असमर्थ हैं कि अनुच्छेद 15 और 16 किसी भी तरह से हमें इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं। यदि सरकार नियुक्तियों और नियुक्तियों की सेवा शर्तों का विज्ञापन करती है और विज्ञापन के बाद चयन करती है तो संविधान के अनुच्छेद 15 या 16 का कोई उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक सेवा शर्तों की दृष्टि से पात्र व्यक्ति, राज्य द्वारा विचार किये जाने का हकदार होगा।

निष्कर्ष में, हम मानते हैं कि केंद्रीय भर्ती नियम, 1957 के नियम 3 ने राज्य को सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति और कार्यकारी आदेश द्वारा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करने की अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोका।

श्री नांबियार ने एक चरण में तर्क दिया था कि नए मैसूर राज्य के चुनाव क्षेत्रों में मौजूद नियम भर्ती के लिए उपलब्ध होंगे क्योंकि उन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जारी रखा गया था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये नियम, भर्ती उद्देश्यों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि सरकार

पूरे राज्य के लिए सहायक अभियंताओं की भर्ती करेगी, न कि राज्य के प्रत्येक चुनाव क्षेत्रों के लिए। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये टिप्पणियाँ केवल भर्ती नियमों से संबंधित हैं।

यह हमें अगली घटना की ओर ले जाता है, और वह है अधिसूचना संख्या ई.2666-58-9 पीएससी, दिनांक 1 अक्टूबर, 1958, जिसे मैसूर लोक सेवा आयोग ने मैसूर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी संवर्ग में 40 परिवीक्षाधीन सहायक अभियंता की भर्ती के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करते हुए जारी किया था। अधिसूचना में योग्यता, वेतन, आयु सीमा, पात्रता के लिए अन्य शर्तें, देय शुल्क और प्रस्तुत किए जाने वाले उम्मीदवारों के विवरण निर्धारित किए गए हैं।4 मार्च, 1959 को मैसूर के राज्यपाल ने अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसूर लोक निर्माण विभाग में पर्यवेक्षकों और सहायक इंजीनियरों के पदों के लिए इंजीनियरिंग में स्नातकों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की। ये आयु सीमाएँ तब तक लागू रहेंगी जब तक कि विशेष रूप से मैसूर लोक निर्माण विभाग पर लागू भर्ती के नियमों की घोषणा नहीं की जाती। अधिकतम आयु सीमा को पूर्वव्यापी बना दिया गया। आगे यह भी प्रावधान किया गया: "1 सितंबर, 1958 और इस अधिसूचना की तारीख के बीच परिवीक्षाधीन सहायक इंजीनियरों की भर्ती के संबंध में लोक सेवा आयोग

या अन्य प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई भी कार्य या कोई कार्रवाई इस अधिसूचना के प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी। "

उसी तारीख को मैसूर सरकार के सचिव, लोक निर्माण विभाग, बैंगलोर ने सचिव, लोक सेवा आयोग, बैंगलोर को अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए लिखा कि:

> "लोक सेवा आयोग ने प्रशिक्षण के संतोषजनक समापन के बाद नियत समय में सहायक अभियंता के रूप में शामिल होने के लिए लोक निर्माण विभाग में चालीस परिवीक्षाधीनों की भर्ती के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी है। मैं लोक सेवा आयोग से अनुरोध करता हूं कि वह आवेदन आमंत्रित करने और भेजने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। विभाग में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति के लिए कुल 80 उम्मीदवारों की सूची।''

इससे स्पष्ट है कि सरकार को लोक सेवा आयोग द्वारा1 अक्टूबर, 1958 की अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई करने की जानकारी थी।

इस पत्र की प्राप्ति के बाद लोक सेवा आयोग ने 4 मई, 1959 को एक अधिसूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित किये "मैसूर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी संवर्ग में 80 परिवीक्षाधीन सहायक इंजीनियरों की भर्ती के लिए सभी वर्गों के योग्य भारतीय नागरिकों से, इस कार्यालय में

पहले से ही विज्ञापित 40 पदों सहित अधिसूचना संख्या ई-3666-58 पी.एस.सी. दिनांक 1 अक्टूबर, 1958" .

इस अधिसूचना में योग्यताएं, परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन, आयु सीमा आदि निर्धारित की गई थी। निर्धारित आयु सीमा 4 मार्च, 1959 की राज्य सरकार की अधिसूचना के समान थी। लोक सेवा आयोग की अधिसूचना में उम्मीदवारों द्वारा सामान्य तौर पर पेश किये जाने वाले विवरण को भी शामिल किया गया।1 मार्च, 1960 को राज्यपाल ने आदेश संख्या जीएडी 7 ओआरआर 60, दिनांक 1 मार्च, 1960 वाली एक अधिसूचना जारी की, जिसमें आदेश दिया गया, "राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों और पदों पर सीधी भर्ती के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 15% और 3% होगा। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 25% होगा। बाकी नियुक्तियाँ और होंगी योग्यता के आधार पर भरा जाएगा और सभी वर्गों के लिए खुला रहेगा।"

फिर लोक सेवा आयोग ने 1 अप्रैल, 1960 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें लोक निर्माण विभाग में 80 परिवीक्षाधीन सहायक इंजीनियरों सहित मैसूर सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इन्हें अधिसूचना के भाग ए में शामिल किया गया था, और इसे अन्य बातों के साथ-साथ अधिसूचना के पद 22 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था:

"22. महत्वपूर्ण नोट:

(i) विवरण के भाग 'ए' में वर्णित रिक्तियों को पहले इस कार्यालय की अधिसूचना में प्रत्येक मद के सामने कॉलम 8 में विज्ञापित किया गया था और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पिछली रिक्ति के जवाब में उक्त रिक्ति/रिक्तियों के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। अधिसूचना को दोबारा लागू करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन यदि वे चाहें तो अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) भाग 'ए' के तहत रिक्तियों के लिए इस कार्यालय में पहले से ही प्राप्त आवेदनों पर सरकार द्वारा उनके आदेश संख्या जीएडी 7 ओआरआर 60, दिनांक 1 मार्च, 1960 में जारी संशोधित वर्गीकरण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ii) विवरण में भाग 'ए' के तहत सभी रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों द्वारा पूरी की जाने वाली योग्यताएं, अनुभव/प्रशिक्षण या सेवा की अवधि, न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा और अन्य सभी आवश्यकताएं नोट की गई तारीखों के अनुसार निर्धारित की जाएंगी। विवरण के कॉलम 9 में रिक्ति/रिक्तियों की प्रत्येक मद के सामने।

(iv) ऐसे उम्मीदवार जो भाग 'ए' रिक्तियों के संबंध में विवरण के कॉलम 9 में उल्लिखित तिथियों के अनुसार इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वे पदों के लिए पात्र नहीं होंगे।''

विवरण के कॉलम 8 में 4 मई, 1959 और 1 अक्टूबर, 1958 की पिछली अधिसूचनाओं का उल्लेख है, और कॉलम 9 में "8 जून, 1959" की तारीख का उल्लेख है, कॉलम 5 में योग्यताएं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:

"इंजीनियरिंग (सिविल या मैकेनिकल) में डिग्री या समकक्ष परीक्षा। इसके अलावा उम्मीदवारों को या तो व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा या कम से कम 6 महीने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के तकनीकी कैडर में सेवा प्रदान करनी होगी। (इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है) कॉलेज के प्राचार्य या वरिष्ठ अधिकारी, जिनके अधीन उन्होंने प्रशिक्षण लिया है या काम कर रहे हैं, को आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।"

अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई थी:

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 33 वर्ष। अन्य के लिए 31 वर्ष, वास्तविक नियुक्तियां रखने वाले

या कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए निरंतर सरकारी सेवा रखने वाले सरकारी सेवकों के मामले में 35 वर्ष।"

अक्टूबर 1960 में मैसूर लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और 2 नवंबर 1960 को आयोग ने अपने द्वारा चुने गए 80 उम्मीदवारों की सूची सरकार को भेजी। 3 दिसंबर, 1960 को मैसूर सरकार ने मैसूर लोक निर्माण इंजीनियरिंग विभाग सेवा के संबंध में राज्य सेवा संवर्ग की स्थापना को मंजूरी दी। उसी तारीख को, अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसूर के राज्यपाल ने मैसूर लोक निर्माण इंजीनियरिंग विभाग सेवा (भर्ती) नियम, 1960 नामक नियम बनाए। यह अनुसूची के कॉलम 1 में दिये गये प्रत्येक श्रेणी के पदों के संबंध में भर्ती के तरीके और न्यूनतम योग्यताएं और परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो, को निर्धारित करता है। सहायक अभियंताओं के लिए, भर्ती की निर्धारित पद्धति साक्षात्कार और मौखिक परीक्षा के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा 40 प्रतिशत सीधी भर्ती थीय 50 प्रतिशत कनिष्ठ अभियंताओं के संवर्ग से पदोन्नति द्वारा, और 10 प्रतिशत पर्यवेक्षकों के संवर्ग से पदोन्नति द्वारा। इसमें न्यूनतम योग्यता और आयु इस प्रकार निर्धारित की गई:

"सीधी भर्ती के लिए

आयु - 31 वर्ष से अधिक नहीं। सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो कि उम्मीदवार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की एसोसिएट सदस्यता के पार्ट ए बी में उत्तीर्ण किया हो या समकक्ष योग्यता के साथ पाठ्यक्रम के दौरान या उसके बाद कम से कम 6 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। ।"

कनिष्ठ अभियंता जी. गोविंदराजू ने लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 80 व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को Mandamus जारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। उनका तर्क था कि3 दिसंबर 1960 को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत राज्यपाल ने सहायक अभियंताओं के पदों पर भर्ती को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए थे और उन नियमों के तहत चालीस प्रतिशत नियुक्तियां। लोक सेवा आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार और मौखिक परीक्षा के बाद ही की जा सकती थी। उच्च न्यायालय के समक्ष कई अन्य तर्क दिए गए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि सूची लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए अनुरोध के जवाब में तैयार

की गई है, नियुक्तियाँ करने के लिए बाध्य नहीं थी और यह राज्य सरकार के लिए खुला था कि वह उनमें से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त न करे या केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करे, जो उसकी राय में, उनमें से नियुक्त किए जाने चाहिए। . उच्च न्यायालय का मानना था कि महाधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष दिए गए इस बयान ने उस स्तर पर याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किए गए विवाद की किसी भी जांच को अनावश्यक बना दिया है। उच्च न्यायालय ने आगे इस प्रकार टिप्पणी की:

> "यह राज्य सरकार के लिए होगा, उस प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले, 10 दिसंबर, 1957 को बनाए गए लोक सेवा आयोग (कार्य) नियमों के नियम 4 (2), नियम 3 और 4 के प्रभाव पर विचार करना होगा मैसूर राज्य सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम, जो 10 फरवरी, 1958 को लागू हुए, और मैसूर लोक निर्माण इंजीनियरिंग विभाग सेवा (भर्ती) नियम, जो 3 दिसंबर, 1960 को लागू हुए, और आगे विचार करने के लिए कि क्या उन प्रावधानों के आलोक में 3 दिसंबर 1960 को लागू नियमावली के प्रावधानों को छोड़कर सहायक अभियंता के पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। इस प्रश्न पर, मेरी राय में, हमें कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए। इस स्तर पर।"

इन टिप्पणियों के साथ, उच्च न्यायालय ने याचिका को समयपूर्व खारिज कर दिया। यह आदेश 29 सितंबर, 1961 को पारित किया गया था। 23 अक्टूबर, 1961 को, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसूर के राज्यपाल ने मैसूर लोक निर्माण, इंजीनियरिंग विभाग सेवा (भर्ती) नियम, 1960 में कुछ संशोधन किए। इन संशोधनों का प्रभाव, यदि वैध है, तो मैसूर लोक निर्माण इंजीनियरिंग विभाग सेवा (भर्ती) नियम, 1960 को मार्च, 1958 के पहले दिन से पूर्वव्यापी बनाना था। इस अधिसूचना के पद 3 में आगे प्रावधान किया गया है:

> "3. नियम 2 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा और हमेशा जोड़ा गया माना जाएगा, अर्थात्:-
>
> "बशर्ते कि इन नियमों के तहत पहली बार सहायक अभियंताओं की सीधी भर्ती के संबंध में अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भर्ती से संबंधित प्रतिशत लागू नहीं होंगे और न्यूनतम योग्यता और परिवीक्षा की अवधि लागू नहीं होगी निम्नलिखित, अर्थात्:-
>
> योग्यता-उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग (सिविल या मैकेनिकल) में स्नातक होना चाहिए या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए और लोक निर्माण विभाग में तकनीकी

कैडर में कम से कम छह महीने की अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए या सेवा प्रदान करनी चाहिए। . कॉलेज के प्राचार्य या वरिष्ठ अधिकारी, जिस पर उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है या काम कर रहा है, द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए;

आयु सीमा इससे अधिक नहीं होनी चाहिए-

(i) सरकारी सेवकों के मामले में 35 वर्ष - मूल रूप से नियुक्ति प्राप्त करना या जो कम से कम 3 साल की अवधि के लिए लगातार सरकारी सेवा में रहे हों और राजनीतिक पीड़ित हों;

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 33 वर्ष;

(iii) पिछड़े वर्गों के मामले में 31 वर्ष; (iv) अन्य के मामले में 28 वर्ष; आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर।

परिवीक्षा की अवधि. दो साल।"

31 अक्टूबर, 1961 को, मैसूर के राज्यपाल ने 88 उम्मीदवारों को मैसूर लोक निर्माण विभाग में परिवीक्षाधीन सहायक अभियंता के रूप में

नियुक्त किया और इन नियुक्तियों को इस फैसले की शुरुआत में उल्लिखित 16 रिट याचिकाओं में मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

श्री सीतलवाड का तर्क है कि अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत राज्यपाल को पूर्वव्यापी नियम बनाने का हक है और अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत कार्य करते समय सरकार की स्थिति किसी भी तरह से अनुच्छेद 309 सपठित अनुच्छेद 245 और 246 और सूची 2 के तहत आइटम 41 के तहत विधायिका को प्रदत्त शक्तियों से अलग नहीं है। श्री सीतलवाड ने आगे तर्क दिया कि सरकार अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी विधायिका के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर रही है ; यह सीधे कार्यपालिका पर संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर रहा है और अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय संविधान ने राज्य सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले किसी भी मार्गदर्शक सिद्धांत को निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि संविधान इसे विधायिका की तरह समान शक्तियों वाला मानता है। वह आगे कहते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 313 द्वारा लागू राज्य सेवाओं से संबंधित किसी भी मौजूदा कानून में संशोधन और निरस्त कर सकती है। उनका आग्रह है कि यदि संविधान निर्माताओं ने परंतुक के तहत राज्य सरकार की शक्तियों पर कोई बंधन लगाने का इरादा किया होता, तो इनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया होता, और उनका कहना है कि

हम इसे प्रत्यायोजित कानून के समान आधार पर नहीं मान सकते हैं और इसलिए, भले ही यह कानून हो, जिसे वह स्वीकार नहीं करता है, कि कार्यपालिका जब संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, तो वह पूर्वव्यापी रूप से नियम नहीं बना सकती है, यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत प्रदत्त सिद्धांत शक्तियों के प्रयोग पर लागू नहीं होता है।

श्री नांबियार का तर्क है कि संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत कार्यपालिका पूर्वव्यापी रूप से नियम नहीं बना सकती जब तक कि अधिनियम उसे विशेष रूप से ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। उनके अनुसार अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत स्थिति समान है। हमारी राय में, इन मामलों में इस बिंदु पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारा विचार है कि अपील का निपटारा किसी अन्य आधार पर किया जा सकता है। केवल बहस के लिए यह मानते हुए कि श्री नांबियार सही हैं कि मैसूर राज्य सरकार पूर्वव्यापी रूप से नियम नहीं बना सकती है और नियम इस प्रकार शून्य हैं, जहां तक वे पूर्वव्यापी रूप से संचालित होते हैं, हमें इन नियमों को अनदेखा करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या 31 अक्टूबर, 1961 को की गई नियुक्तियों को बरकरार रखा जा सकता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन नियुक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति

का प्रयोग करते हुए वैध रूप से किया गया माना जा सकता है। लोक सेवा आयोग द्वारा 1 अक्टूबर, 1958, 4 मई, 1959 और 1 अप्रैल, 1960 को जारी की गई तीन अधिसूचनाएँ राज्य सरकार की सहमति से जारी की गई मानी जानी चाहिए। ये अधिसूचनाएँ संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम नहीं हैं, जैसा कि श्री नांबियार ने तर्क दिया है; वे लोक सेवा आयोग द्वारा कम से कम राज्य सरकार की निहित सहमति से जारी की गई कार्यकारी अधिसूचनाएँ मात्र हैं। 4 मार्च, 1959 के सरकार के पत्र का उपरोक्त अंश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार को अच्छी तरह से पता था कि लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है। वह लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाई से अवगत थी, और वास्तव में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि सरकार लोक सेवा आयोग द्वारा अधिसूचनाओं के प्रकाशन सहित उठाए जा रहे प्रत्येक कदम से अवगत थी। स्थिति यह है कि यदि हम श्री नांबियार के तर्कों को स्वीकार करते हैं कि मैसूर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इन नियमों की कोई पूर्वव्यापी वैधता नहीं थी, तो सहायक इंजीनियरों के रूप में 88 व्यक्तियों की नियुक्ति को नियंत्रित करने के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं थे। हम पहले ही मान चुके हैं कि मैसूर राज्य सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1957, सरकार को वैधानिक नियम बनाए बिना नियुक्तियाँ करने से नहीं रोकता है। इसलिए, हमारा मानना है कि ये नियुक्तियाँ वैध रूप से की गई थीं।

श्री नांबियार ने अन्य आधार पर नियुक्तियों पर महाभियोग चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों ने मैसूर लोक निर्माण इंजीनियरिंग विभाग सेवा (भर्ती) नियम, 1960, दिनांक 3 दिसंबर, 1960 का उल्लंघन किया, क्योंकि नियुक्तियाँ 31 अक्टूबर, 1961 को की गई थीं और उनके अनुसार, ये नियुक्तियाँ भी 3 दिसम्बर, 1960 को बनाए गए वैधानिक नियमों के तहत की जानी थीं। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग को उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए अधिसूचना प्रकाशित करने और नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने में लगभग दो साल लग गए। नियम बनाते समय, पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अक्टूबर 1960 में उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद नवंबर 1960 में की गई लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में की गई नियुक्तियों को नियमों में शामिल सरकार की मंशा नहीं रही होगी।

विकल्प में आग्रह किया गया कि लोक सेवा आयोग की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 1960 द्वारा किया गया विज्ञापन आयु सीमा तय करने के मामले में 4 मार्च 1959 के नियमों से भिन्न था, अन्य के मामले में अधिकतम आयु के लिए नियमों में 28 वर्ष का प्रावधान है, जबकि अधिसूचना में अन्य के मामले में अधिकतम आयु 31 वर्ष प्रदान की गई है। हमारे विचार में उत्तरदाताओं को इस अंतर की शिकायत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है

कि नियुक्त किए गए लोगों की उम्र 4 मार्च, 1959 के नियमों के विरूद्ध हो। विद्वान वकील हमें संतुष्ट नहीं कर पाए हैं कि उम्र के इस अंतर के कारण उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट झेलना पड़ा है।

एक प्रश्न बाकी है और वह दुर्भावना का प्रश्न है जिसका याचिका में आरोप लगाया गया था। 16 याचिकाएं थीं लेकिन हम पहली याचिका से आरोप लेंगे। उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 1961 की रिट याचिका संख्या 1248 में पद 16 और 17, जिसमें दुर्भावना के आरोप लगाए गए हैं, इस प्रकार कथित है:

> "लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया आगे का चयन मनमाना है और संपार्श्विक विचारों से किया गया है। चयनित उम्मीदवारों में निम्नलिखित हैं, (1) श्री डी. सी. चन्ने गौड़ा, जो दूसरे सदस्य के दामाद हैं लोक सेवा आयोग में, केवल 49% अंकों के साथ एक साधारण बी.ई. स्नातक; (2) श्री केंचरासे गौड़ा, जो कि बहन के दामाद हैं, एक साधारण बी.ई. को मेरे और मेरे को छोड़कर चुना गया है कई अन्य, जिनकी शैक्षणिक और सेवा में वरिष्ठता के आधार पर बेहतर योग्यता थी।

17. इसी प्रकार, स्थानीय विधानमंडल और संसद के प्रमुख सदस्यों के संबंध, एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों के संबंधों का चयन किया गया है।"

मैसूर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया और उपरोक्त पद 16 और 17 का उत्तर इस प्रकार दिया:

"3. याचिकाकर्ता के हलफनामे का पैराग्राफ 16- यह कथन कि किया गया चयन मनमाना था और संपार्श्विक विचारों से किया गया था, गलत है। यह सच है कि श्री डी. सी. चन्ने गौड़ा चयनित उम्मीदवारों में से थे। लोक सेवा आयोग के तत्कालीन दूसरे सदस्य उस उम्मीदवार के साक्षात्कार में भाग लेने से परहेज किया। चयन के समय मुझे केनचरासे गौड़ा, श्री टी. कृष्णा, श्री हनुमे गौड़ा और श्री एम.एन. नरसे गौड़ा के तत्कालीन दूसरे सदस्य के साथ संबंधों के बारे में जानकारी नहीं थी। लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के तत्कालीन दूसरे सदस्य, श्री एम. के. अप्पाजप्पा का निधन हो चुका है। चयन में प्रमुख कारक उम्मीदवार का प्रदर्शन था। साक्षात्कार में और उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक। डिग्री परीक्षा केवल उन कारकों में से एक थी जिन पर विचार किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के शपथ पत्र-I के पैराग्राफ 17 में उम्मीदवारों के स्थानीय विधानमंडल और संसद के प्रमुख सदस्यों या एक मंत्री और एक पूर्व मंत्री सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ संबंध, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी नहीं थी। मेरा मानना है कि यह सुझाव देना भी गलत है कि चयन ऐसे किसी रिश्ते से प्रभावित थे।"

उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच करना अनावश्यक पाया क्योंकि उसे लगा कि जिन चयनों पर सवाल उठाया गया था वे अन्य आधारों पर अमान्य थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी की:

"इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दलीलों में बताए गए तथ्य, विशेष रूप से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के जवाबी हलफनामे में जिस तरह से उनका उल्लेख किया गया है, वह संदेह पैदा करता है।"

यदि उच्च न्यायालय को दुर्भावना के प्रश्न पर अपना अंतिम विचार नहीं व्यक्त करना था तो शायद उसे अपना प्रबल संदेह व्यक्त करने से बचना चाहिए था। हम इस बात का समर्थन करने में असमर्थ हैं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के प्रति-शपथ पत्र में जिस तरह से व्यक्त किया गया है, उसमें किसी भी टिप्पणी की आवश्यकता है। रिट याचिका संख्या 1269/1961 के समर्थन में हलफनामे के पैरा 15 में चयनित उम्मीदवारों के

बारे में अधिक जानकारी दी गई है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा दायर जवाबी हलफनामा सभी याचिकाओं में समान है। लेकिन फिर भी, उल्लिखित विवरण के लिए किसी विस्तृत उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण के लिए, पद 15 में यह आरोप लगाया गया था कि श्री डीसी चन्ने गौड़ा, जो लोक सेवा आयोग के दूसरे सदस्य, श्री अप्पाजप्पा के दामाद हैं, केवल 49.8 प्रतिशत अंकों के साथ एक साधारण बीई स्नातक थे। लेकिन भले ही उसके पास केवल 49.8 प्रतिशत अंक थे, यह दिखाने के लिए निर्णायक नहीं है कि उसका चयन नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि उम्मीदवारों के साक्षात्कार का पूरा उद्देश्य लिखित इन्तिहान में उनके द्वारा प्रदर्शित मानक के अलावा उनकी पात्रता या उपयुक्तता का आकलन करना है। हम यह मानने में असमर्थ हैं कि इन तथ्यों से कोई दुर्भावनापूर्ण या अतिरिक्त उद्देश्य साबित हुआ हो।

परिणामस्वरूप, राज्य और अन्य अपीलकर्ताओं दोनों की अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द कर दिया जाता है। यह उल्लेखित किया जा सकता हैं कि कुछ अपीलकर्ताओं ने अपनी अपीलों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते

हैं कि पूर्ण न्याय करने के लिए उन्हें हमारे द्वारा दिए गए फैसले का लाभ भी मिलना चाहिए। खर्चे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलें स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री ललित खत्री (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।